

कार्यालय नगर पालिका परिषद, पाली जिला - उमरिया (म.प्र.)
क्रं./180 /न.पा./2019, पाली, दिनांक : 30/01/2019

प्रति,

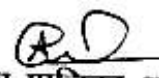
कलेक्टर महोदय,
जिला - उमरिया (म.प्र.)

विषय:-नगर पालिका परिषद की मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अन्तर्गत "FRA प्रमाण पत्र की आवश्यकता।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि नगर पालिका परिषद पाली जिला उमरिया द्वारा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्र पाली में वन विभाग के वन कक्ष क्रमांक 567 में पाईप लाईन विस्तार का कार्य प्रस्तावित है।

उपरोक्त हेतु वन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिये Forest Rights Act 2006 के अन्तर्गत FRA संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना है। यह प्रमाण पत्र जिले के कलेक्टर द्वारा संलग्न प्रोफार्मो के अनुसार प्रदान किया जाना है।

निवेदन है, कि उपरोक्त संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्न:-सहपत्र उपरोक्तानुसार।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद पाली,
जिला - उमरिया (म.प्र.)

पाली, दिनांक : 30/01/2019

पृ.क्रं./181 /न.पा./2019,

प्रतिलिपि :-

1. वन मण्डलाधिकारी, जिला उमरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद पाली,
जिला - उमरिया (म.प्र.)